

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1846]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937

No. 1846]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

विषय:— दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियमावली-1959 के अध्याय 3, नियम-8 के तहत जांच एवं सुनवाई बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति।

का.आ.2380(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियमावली, 1959 के अध्याय 3 के नियम-8 के प्रावधानों के तहत, दि.मु.यो. 2021 के संशोधन के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन, आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई करने और विचार करने के लिए दिनांक 09.08.2012 की का.आ. अधिसूचना सं. 1785 (अ) के द्वारा जांच एवं सुनवाई बोर्ड की नियुक्ति को अधिसूचित किया।

2. केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से दिनांक 15.04.2015 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1259 (अ) के द्वारा, दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में श्री नसीब सिंह के स्थान पर श्री ओ.पी. शर्मा, सदस्य, दिल्ली विधान सभा, को नामित करती है।

3. इसलिए, श्री नसीब सिंह के स्थान पर श्री ओ.पी. शर्मा, सदस्य, दिल्ली विधान सभा, को एतद्वारा जांच एवं सुनवाई बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

[फा. सं एफ.15 (02) 2014—एमपी]

डी सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**(Office of Commissioner-Cum-Secretary)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2015

Sub: Appointment of member of Board of Enquiry and Hearing under Rule-8, Chapter 3, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules - 1959

S.O.2380(E).— The Delhi Development Authority under the provisions of Rule-8, Chapter 3 of Delhi Development (**Master Plan & Zonal Development Plan**) Rules, 1959 notified the appointment of board of enquiry and hearing vide Notification No. S.O. 1785 (E) dated 09.08.2012, to hear and consider any representation, objections and suggestions issued for amendment to the MPD-2021 henceforth received in response to the Public Notice within the stipulated period.

2. Central Government vide gazette notification No. S.O. no.1259 (E) dated 15.04.2015 has nominated Sh. O.P. Sharma, Member of the Legislative Assembly of Delhi, as member of the Delhi Development Authority with immediate effect.
3. Therefore, Sh. O.P. Sharma, Member of the Legislative Assembly of Delhi, is hereby nominated as member of Board of Enquiry and Hearing in place of Sh. Naseeb Singh.

[F. No. F.15 (02)2014-MP]

D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.